ई-मेल/स्पीड पोस्ट

<u>प्रोटोकॉल अनुपालन/महत्वपूर्ण</u>

संख्या- 3/2024/801363/2024-02-5099/2/2024

प्रेषक,

एम0 देवराज
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त** मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. **समस्त** जिलाधिकारी, उ0प्र0।

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक: 01.12.2024

विषय: मा0 जनप्रतिनिधियों/ माननीय सभापति विधान मण्डल के जनपद आगमन के संबंध में अनुमन्य प्रोटोकॉल की समुचित जानकारी होने एवं उसका अनुपालन अनिवार्य रूप से किये जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

आप अवगत ही हैं कि मा0 संसद सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के संबंध में संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शा0संख्या-8/2023/1370/90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015 दिनांक 03-10-2023 निर्गत करते हुए समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारियों से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2- इसके अतिरिक्त संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शा0संख्या-3/2024/904/90-सं0शि0प0का0/2024-02(सं0शि0)/2015 दिनांक 07-10-2024 एवं शा0संख्या-9/2023/1985/90-सं0शि0प0का0/2023-08(सं0शि0)/2015 दिनांक 29-12-2023 निर्गत करते हुए समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारियों से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

3- शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकॉल से संबंधित अन्य शासनादेश भी समय-समय पर निर्गत हुए हैं, जो https://shasanadesh.up.gov.in/ पर संसदीय विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध हैं। जिसे डाउनलोड करके संगत शासनादेशों को संग्रहित रखें व अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- प्रकरण में नियुक्ति विभाग 30प्र0शासन स्तर से भी शा0सं0-36/दो-5-2024-02-5099/186 /2023 दिनांक 10-01-2023 (***प्रति संलग्न***) द्वारा मा0जनप्रतिनिधियों का नाम व मोबाइल /दूरभाष नम्बर मोबाइल फोन में सुरक्षित रखने के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

शा0सं0-25/दो-5-2023-02-5001/15/2021 दिनांक 17-01-2023 ***(प्रति संलग्न)*** द्वारा मा0जनप्रतिनिधियों के मोबाइल/लैण्डलाइन फोन रिसीव किये जाने के संबंध में भी निर्देश निर्गत किये गये हैं।

5- उपरोक्त निर्देशों के बाद भी कहीं कहीं प्रोटोकॉल उल्लघंन होने की शिकायतें शासन के संज्ञान में आ रही है। अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **उपरोक्त प्रस्तरों में अंकित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने का कष्ट करें।**

<u>संलग्नक-यथोपरि</u>।

भवदीय,

(एम0 देवराज)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष- उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0शासन।
4. विशेष सचिव, संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. समिति (सामान्य) अनुभाग-3/ समिति अनुभाग-1, विधान परिषद सचिवालय।
7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग, 30प्र0शासन को इस निर्देश सहित कि उक्त शासनादेश विभागीय बेवसाइट/आन लाइन अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
8. समस्त अनुभाग-नियुक्ति विभाग, 30प्र0शासन।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ई-मेल/स्पीड पोस्ट
प्रोटोकॉल अनुपालन/महत्वपूर्ण

प्रेषक,

एम0 देवराज
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक: ~~20-11-2024~~ 01.12.2024

विषय: मा0 जनप्रतिनिधियों/ माननीय सभापति विधान मण्डल के जनपद आगमन के संबंध में अनुमन्य प्रोटोकाल की समुचित जानकारी होने एवं उसका अनुपालन अनिवार्य रूप से किये जाने के संबंध में।

महोदया/ महोदय,

आप अवगत ही हैं कि मा0 संसद सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के संबंध में संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शा0संख्या-8/2023/1370/90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015 दिनांक 03-10-2023 निर्गत करते हुए समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारियों से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2- इसके अतिरिक्त संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शा0संख्या-3/2024/904/90-सं0शि0प0का0/2024-02(सं0शि0)/2015 दिनांक 07-10-2024 एवं शा0संख्या-9/2023/1985/90-सं0शि0प0का0/2023-08(सं0शि0)/2015 दिनांक 29-12-2023 निर्गत करते हुए समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारियों से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

3- शिष्टाचार /अनुमन्य प्रोटोकाल से संबंधित अन्य शासनादेश भी समय-समय पर निर्गत हुए हैं, जो https://shasanadesh.up.gov.in/ पर संसदीय विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध हैं जिसे डाउनलोड करके संगत शासनादेशों को संग्रहित रख कर उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4- प्रकरण में नियुक्ति विभाग उ0प्र0शासन स्तर से भी शा0सं0-36/दो-5-2024-02-5099/186 /2023 दिनांक 10-01-2023 (*प्रति संलग्न*) द्वारा मा0जनप्रतिनिधियों का नाम व मोबाइल /दूरभाष नम्बर मोबाइल फोन में सुरक्षित रखने के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

शा0सं0-25/दो-5-2023-02-5001/15/2021 दिनांक 17-01-2023 *(प्रति संलग्न)* द्वारा मा0जनप्रतिनिधियों के मोबाइल/लैण्डलाइन फोन रिसीव किये जाने के संबंध में भी निर्देश निर्गत किये गये हैं।

5- उपरोक्त निर्देशों के बाद भी कहीं कहीं प्रोटोकाल उल्लघंन होने की शिकायतें शासन के संज्ञान में आ रही है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तरों में अंकित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने/ कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

Signed by
M Devaraj
Date: 01-12-2024 13:59:09

(एम0 देवराज)
प्रमाप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तद्दैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष- उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
4. विशेष सचिव, संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. समिति (सामान्य) अनुभाग-3/ समिति अनुभाग-1, विधान परिषद सचिवालय।
7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन को इस निर्देश सहित कि उक्त शासनादेश विभागीय वेवसाइट/आन लाइन अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
8. समस्त अनुभाग-नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

महत्वपूर्ण/ प्रोटोकाल अनुपालन

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

संख्या- 36 /दो-5-2024-02-5099/186/2023

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 10 जनवरी, 2023

विषय:- मा0 जनप्रतिनिधियों का नाम व मोबाइल/दूरभाष नम्बर मोबाइल फोन में सुरक्षित रखने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनपद-गोरखपुर के अधिकारियों से उनके सी0यू0जी0 नम्बर पर वार्ता करने पर उपेक्षा और अनादरपूर्ण व्यवहार किये जाने के विरुद्ध नियम-223 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना के प्रकरण में मा० विशेषाधिकार समिति द्वारा दिनांक 06-11-2023 को दिये गये निर्देश से संसूचित किया गया है कि "नियुक्ति विभाग अपने स्तर से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित करें कि वे अपने जनपद के समस्त जनपदीय अधिकारियों को यह निर्देशित कर दें कि वे अपने-अपने मोबाइल फोन में सभी मा० जनप्रतिनिधियों के नाम व मोबाइल नम्बर सेव करके रखें, जिससे दूरभाष पर मा० जनप्रतिनिधियों से संवाद में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो सके और उनके कथनों पर यथोचित समाधान किया जा सके।"

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-

1) जिलाधिकारी स्वयं उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने नियंत्रणाधीन समस्त जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे अपने-अपने मोबाइल फोन में सभी मा० जनप्रतिनिधियों के नाम व मोबाइल नम्बर सेव करके सुरक्षित रखें।
2) मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा काल किये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा उनका फोन अवश्य रिसीव किया जाये। साथ ही अधीनस्थ जनपदीय अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया जाये कि वे भी इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

1601960

3) अपरिहार्य परिस्थितियों (उच्चस्तरीय बैठक/मा0न्यायालय में रहने के दौरान/न्यायिक कार्य/VVIP Duty आदि) में यदि जिलाधिकारी द्वारा स्वयं फोन रिसीव किया जाना संभव न हो तो यह सुनिश्चित किया जाये कि उनकी जगह कोई पूर्ण दक्ष प्रशिक्षित कर्मी फोन रिसीव करेगा तथा इसकी जानकारी वह तुरंत जिलाधिकारी को देगा। संबंधित कर्मी द्वारा इस फोन नम्बर/नाम को रजिस्टर में भी अंकित करेगा तथा बिना विलम्ब अनिवार्य रूप से कालबैक कर मा0 जनप्रतिनिधिगण से बात की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त जनपद के अधीनस्थ अधिकारियों को भी तदनुसार निर्देशित करें कि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

3- कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त सचिव, विधान परिषद सचिवालय, समिति अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश।
2- विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु/ मांई फाइल।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार सिंह)
उप सचिव।

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

संख्या- 25 /दो-5-2023-02-5001/15/2021

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी:—
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 17 जनवरी, 2023

विषय:- मा0 जनप्रतिनिधियों के मोबाइल/लैण्डलाइन फोन रिसीव किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण प्रकाश में लाये गये हैं जब जिलाधिकारियों के सी0यू0जी0 मोबाइल नम्बर उठाये नहीं गये अथवा स्वयं नहीं उठाया गया एवं मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा सी0यू0जी0 मोबाइल/लैण्डलाइन पर काल करने पर फोन रिसीव न करने की दशा में भी कालबैक नहीं किया जाता है। इन कारणों से जनप्रतिनिधियों का प्रशासन के प्रति असन्तोष उत्पन्न होता है तथा शासन की छवि भी धूमिल होती है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा काल किये जाने पर उनके फोन जिलाधिकारी द्वारा अवश्य रिसीव किये जायें। अगर किसी कारणवश जिलाधिकारी स्वयं फोन रिसीव नहीं करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि उनकी जगह कोई पूर्ण प्रशिक्षित कर्मी फोन रिसीव करेगा तथा संबंधित कार्मिक द्वारा तुरन्त फोन कॉल की जानकारी जिलाधिकारी को दी जाये। यदि तत्समय मीटिंग आदि की व्यस्तता के कारण फोन पर बात किया जाना सम्भव न हो तो संबंधित कार्मिक द्वारा इसे नम्बर सहित रजिस्टर पर दर्ज किया जाय तथा उसी दिन यथासमय कालबैक कर बात कराई जाय। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु स्व स्तर से दिशा-निर्देश प्रसारित करेंगे।

भवदीय,

(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि उप सचिव, विधान परिषद सचिवालय (समिति अनुभाग-1) को उनके पत्र दिनांक 08-12-2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

12/1/23
12.1.2023

(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

Protocol G.O.